राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्र : ओई / एफ.19 (29)डीएलबी / 93 / 1355 जयपुर, दिनांक :– 4/10/04

: आदेश :

राजस्थान राज्य विधि नियमों के नियम 21 व 22 के अनुसरण में एवं इन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित समस्त पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए आदेश दिए जाते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग में काम काज का निष्पादन राजस्थान कार्य विधि नियमों के संलग्न परिशिष्ठ 'ख' में दर्शायी मदों के अतिरिक्त शेष निम्न मदों के लिये निम्न प्रकार से किया जावेगा :–

क्र. सं.	मामले का प्रकार	परीक्षण / निर्णय	परीक्षण / निर्णय	अंतिम निर्णय का अधिकार	विशेष विवरण
	प्रशासनिक मामले				
1.	भूमि विक्रय एवं आवंटन				
	अ. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 15 व 17 के प्रकरण	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 18 व 19 के तहत संस्थाओं को आवंटन	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	स. उपरोक्त नियमों के नियम 32 के तहत छूट के मामले	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	द. भूमि रूपान्तरण एवं नियमन (प्रत्यायोजित एवं विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त)	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
2.	अ. भूमि अवाप्ति के प्रकरण	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. भूमि अवाप्ति से मुक्ति के प्रकरण	उप सचिव	सचिव	मंत्री / मु.म.	
3.	कच्ची बस्ती सम्बन्धित मामले	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
4.	मेले / पशु मेले	उप सचिव	–	–	
5.	सम्मेलन / सेमीनार / संगोष्ठियाँ		–	–	
	अ. राज्य स्तर पर	उप सचिव	–	–	
	ब. राज्य के बाहर	उप सचिव	सचिव	–	
	स. देश के बाहर	उप सचिव	सचिव / प्र. सचिव	मंत्री	
6.	वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन	उप सचिव	सचिव / प्र. सचिव	मंत्री	
7.	नगर निगम / परिषद / पालिका के अधिकारी / कर्मचारियों के संगठन आदि की मांगो के सम्बन्ध में।	उप सचिव	सचिव / प्र. सचिव	नीतिगत मामले मंत्री स्तर पर	
8.	नगर परिषद कर्मचारियों पर श्रम कानून को प्रभावित किये जाने के मामले	उप सचिव	सचिव	–	
9.	सफाई कर्मचारियों की मांगो से सम्बन्धित प्रकरण	उप सचिव	–	–	
10.	अ. राजस्थान नगर पालिकाओं के अधिकारियों / लोक सेवक के विरूद्ध प्रॉसिक्यूशन स्वीकृति देना (महापौर / सभापति / अध्यक्ष को छोड़कर) (विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों के अतिरिक्त)	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. महापौर / सभापति / अध्यक्ष के विरूद्ध प्रॉसिक्यूशन स्वीकृति देना	उप सचिव	सचिव	मंत्री	

	..मों के तहत अनुशासनिक मामले .. / अधिशाषी अभियंता / स्वास्थ्य ..कारी समस्त / मुख्य अग्निशमन अधिकारी ..वं इनसे उच्चतर अधिकारी	उप सचिव	सचिव	—	अनुशासनिक मामले नियमों की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन निस्तारित किये जावेंगे
	..अधिशाषी अधिकारी द्वितीय श्रेणी / सचिव / सहायक अभियंता	उप सचिव	सचिव	—	
	स. अन्य समस्त अधिशाषी अधिकारी / तकनीकी अधिकारी / अन्य अधिकारी	उप सचिव	—	—	
12.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सेवा से हटाना / बर्खास्तगी / अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले	उप सचिव	सचिव / प्र. सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री	
13.	राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
14.	राजस्थान के बाहर देश के भीतर यात्रा करने की स्वीकृति —				
	अ. नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. आर.एम.एस. अधिकारी व प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी	उप सचिव	सचिव	—	
	स. राज. नगर पालिका के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के मामले	उप सचिव	सचिव	—	
15.	अ. नये पदों का सृजन (समस्त संवर्ग)	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. पदस्थापन / स्थानान्तरण				
	(i) आर.एम.एस. अधिकारी	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	(ii) मंत्रालयिक, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	स. नगर पालिका के बजट में स्वीकृत तकनीकी अधीनस्थ व मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों को भरने की प्रशासनिक स्वीकृति	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
16.	अस्थाई पदों एवं नियुक्तियों का समय बढ़ाना	उप सचिव	सचिव		
17.	सेवा नियमों में शिथिलता				
	(i) नियुक्ति / पदोन्नति में शिथिलता	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	(ii) पेंशन प्रकरण के नियमन हेतु	उप सचिव	सचिव	—	
18.	(i) प्रशिक्षण हेतु अनुमति (राजस्थान के भीतर)				
	अ. नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि	उप सचिव	—	—	
	ब. नगर पालिका सेवा के अधिकारी	उप सचिव	—	—	
	स. मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी	उप सचिव	—	—	
	(ii) राजस्थान के बाहर प्रशिक्षण :—				
	अ. नगर पालिका जन प्रतिनिधि	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. शेष अधिकारी / कर्मचारी	उप सचिव	सचिव	—	
	(iii) विदेशों में प्रशिक्षण / उच्चतर अध्ययन / अनुसंधान / भ्रमण / गोष्ठियों में भाग लेना (प्रशासनिक अनुमोदन)	उप सचिव	सचिव	मंत्री	राज्य सरकार से भी अनुमति
19.	नगर निगम / परिषद / पालिकाओं के संघो का गठन धारा 264	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
20.	लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कार्यवाही	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
21.	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 63 / 63–ए / 69 (क) के मामले				
	अ. उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत नगर निगम / परिषद / पालिकाओं के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष व सदस्यों के विरूद्ध शिकायत व प्राथमिक जांच व नोटिस जारी करना	उप सचिव	सचिव	मंत्री	

	...क्त प्रकरणों में निलम्बन, ...यिक / पुनःन्यायिक जांच, एवं न्यायिक ...ांच उपरान्त हटाने / निष्कासन / निर्योग्य घोषित करने आदि की कार्यवाही	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	स. महापौर / सभापति / अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसी सदस्य को धारा 69 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत करना।	उप सचिव	सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री	
	विविध मामले				
22.	अ. अधिनियम विरचना एवं संशोधन	उप सचिव	सचिव / प्र. सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री	
	ब. नियम / उप नियम	उप सचिव	सचिव / प्र. सचिव	मंत्री	
23.	न्यायालयिक याचिकाएं / वाद				
	अ. अपील योग्य	उप सचिव	—	—	
	ब. अपील नहीं करने योग्य	उप सचिव	सचिव	—	
	स. प्रभारी अधिकारी व अधिवक्ता नियुक्ति ... मामले	उप सचिव	—	—	
24.	अधिवक्ता हेतु विशेष शुल्क स्वीकृति				
	अ. 20,000 रू. तक	उप सचिव	—	—	
	ब. 20,001 से 50,000 रू.तक	उप सचिव	सचिव	—	
	स. 50,001 रू. से उपर	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
25.	विधि सलाहकार एवं पैनल लायर की नियुक्ति सम्बन्धी मामले	उप सचिव	सचिव	मंत्री	एजी / एएजी की नियुक्ति विधि विभाग द्वारा
26.	प्री लिटिगेशन कमेटी में रखे जाने योग्य प्रकरण	उप सचिव	सचिव	—	
27.	लिटिगेशन कमेटी में रखे जाने योग्य प्रकरण	उप सचिव	सचिव	—	
28.	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 300 के अन्तर्गत पुनरीक्षण व पुनरावलोकन याचिकाएं	अधिनियम के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों केअनुसार			
29.	धारा 285 (2) के अन्तर्गत आदेश :–				
	अ. नगर निगम व नगर परिषद	उप सचिव	सचिव	—	
	...तीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं (केवल उन मामलों के संबंध में ...कि राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की है)	उप सचिव	—	—	
30.	निर्वाचन सम्बन्धी मामले :–				
	अ. निर्वाचन आयोग की अभिशंषा पर धारा 23 के अन्तर्गत साधारण चुनाव हेतु अधिसूचना को विभागीय स्तर से जारी करने हेतु	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ब. राज्य निर्वाचन आयोग की अभिशंषा पर धारा 23 के अन्तर्गत उप चुनाव हेतु	उप सचिव	—	—	
	स. नगर निगम / परिषद / मण्डलों को कालावधि में वृद्धि अधिकमित / भंग करना / स्थापना एवं गठन / सीमा वृद्धि	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
31.	राज्य सरकार की ओर से बोर्ड / समितियों में मनोनयन	उप सचिव	सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री	

	लेखा सम्बन्धी मामले				
2.	आय–व्यय का अनुमान/बजट स्वीकृति				
	अ. नगर निगमों के आय–व्यय का अनुमान	उप सचिव	सचिव/प्र. सचिव	मंत्री	
	ब. नगर परिषदों के आय–व्यय का अनुमान	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	स. शेष नगर पालिकाओं के बजट अनुमान	उप सचिव	सचिव	—	
3.	करारोपण/छूट/निलम्बन सम्बन्धी मामले	उप सचिव	सचिव/प्र. सचिव	मंत्री	
4.	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डलों को ऋण एवम् सहायता	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
5.	वित्तीय स्वीकृतियाँ				
	क. टेण्डर आमंत्रित कर न्यूनतम दरों पर	उप सचिव	—	—	
	ख. बिना टेण्डर आमंत्रित किये या एकल निविदा के आधार पर				
	(i) तीस हजार तक	उप सचिव	—	—	
	(ii) तीस हजार से एक लाख रूपये तक	उप सचिव	सचिव	—	
	(iii) एक लाख रूपये से अधिक (एकाधिकारी के मामलों को छोडकर)	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	ग. टेण्डर प्रकिया में समय आदि की छूट के मामले				
	(अ) एक लाख रूपये तक के मामले	उप सचिव	सचिव	—	
	(ब) एक लाख रूपये से अधिक	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	घ. राज. नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 101 (X) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां	उप सचिव	सचिव		
36.	सजावटी विज्ञापन की स्वीकृतियां (प्रत्यायोजित शक्तियों के अतिरिक्त)	उप सचिव	सचिव		
37.	स्वीकृत दूरभाष सीमा से अधिक कॉल्स का नियमन				
	अ. दो हजार कॉल तक प्रति दो माह	उप सचिव	सचिव		
	ब. दो हजार से अधिक एवं चार हजार तक प्रति दो माह	उप सचिव	सचिव		
	स. चार हजार से अधिक कॉल्स प्रति दो माह	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
38.	केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं के कियान्वयन के लिये नगर निगम/परिषद/पालिका के चयन व उन्हें दी जाने वाली राशि का विभाजन	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
39.	अ. गबन/ऑडिट रिपोर्ट व निरीक्षण रिपोर्ट के मामले	उप सचिव	सचिव	—	
	ब. गबन/ऑडिट रिपोर्ट व निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित मामले जो राज्य सरकार के निर्णयों से प्रभावित हो	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
	अन्य मामले				
40.	समस्त नीतिगत निर्णय	उप सचिव	सचिव/प्र. सचिव	मंत्री/मुख्यमंत्री	
41.	अन्तर्राज्यीय महत्व/भारत सरकार से सम्बन्धित प्रकरण	उप सचिव	सचिव/प्र. सचिव	मंत्री/मुख्यमंत्री	
42.	नगर पालिकाओं के अन्य मामले जो इसमें वर्णित नहीं हैं।	उप सचिव	सचिव	मंत्री	
43.	राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण	उप सचिव	सचिव	मंत्री	

2 29

कार्य के अन्य मदों के मामले मय नगर पालिकाओं सम्बन्धी मामले जो राजस्थान नगर पालिका सेवा से सम्बन्धित हों, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.1(3)जीए/71 दिनांक 29.03.72 के अनुसार निष्पादित किये जायेंगे।

02. राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा संबंधी मामले निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर निष्पादित किये जावेंगे। ये बिन्दु संख्या 32 में सम्मिलित नहीं है।

03. मंत्री, स्वायत्त शासन की मुख्यालय से अनुपस्थिति में मामलों का निस्तारण शासन सचिव द्वारा किया जावेगा, जिसमें यह आवश्यक समझा जावेगा कि मंत्री महोदय की प्रतीक्षा के बिना निस्तारण करना आवश्यक है।

04. ऐसे मामले जो बिना विलम्ब व उच्चाधिकारी की प्रतीक्षा के जल्दी किये जाने के लिए आवश्यक हो, उन्हें उच्चाधिकारी के आने पर उनके अवलोकनार्थ पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

05. कार्य विधि नियमों के नियम 31 (1) के अनुसार निम्नांकित मामले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत होंगे :–

1. अधिकारी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्य सरकार है, के बर्खास्तगी/हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवम् पुनर्विलोकन से सम्बन्धित मामले (उप नियम (iii)(a)(b))
2. लोक सेवक द्वारा राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने सम्बन्धी न्यायिक परिवादों के मामले (उप नियम (ix))
3. राजकीय नीति सम्बन्धी मामले (उप नियम (xii))
4. भूमि अवाप्ति से मुक्ति के मामले (उप नियम (xx))
5. एक करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का निष्पादन (उप नियम (xxiii))
6. नगर निकायों को भंग करने के मामले (उप नियम (xxiv))
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही के मामले (उप नियम (xxv))
8. नगर निकायों में मनोनयन एवम् मानदेय पर नियुक्तियों के मामले (उप नियम (xxxi)
9. राजकीय संस्थाओं के व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण के मामले (उप नियम (xxxiv))
10. नगर निकायों के पार्क, खेल के मैदान की भूमि को पूर्ण/आंशिक रूप से हस्तानान्तरण/परिवर्तन के मामले (उप नियम (xxxv))

(प्रताप सिंह सिंघवी)
स्वायत्त शासन राज्य मंत्री
जयपुर, दिनांक :– 4/10/04

क्रमांक : ओई/एफ.19 (29)डीएलबी/93/1956–2126

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
10. व्यवस्था एवं पद्धति विभाग (दो प्रतियों में), जयपुर।
11. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण/समस्त अनुभाग, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग